

Office.....

INCOME TAX CALCULATION (GA-55) 2020-21

NAME :						DESIGNATION					PAN:					A/C NO.		Bill No. & T.V. No.											
						GPF/PRAN NUMBER:					TAN:					MOB NO.													
Month	Basic Pay	Dearness Pay	Leave Pay	Spl. Pay	D.A.	H.R.A.	Washing Allow.	ROP (if any, put the value in minus)	Other Allowance 1	Other Allowance 2	Gross Salary	GPF	GPF LOAN	SI	SI Arrear	SI LOAN + INT	RPFM	LIC	Group Insurance Accidental	HBA Premium	HBA Interest	Income Tax / TDS	GPF 2004 (NPS)	Hitkari Nidhi	CM Corona Fund	Total Deduction	Net Payment		
Mar-20																													
Apr-20																													
May-20																													
Jun-20																													
Jul-20																													
Aug-20																													
Sep-20																													
Oct-20																													
Nov-20																													
Dec-20																													
Jan-21																													
Feb-21																													
DA Arrear 17% (July 19 To Dec. 19)																													
DA Arrear 17% (Jan 20 To Feb. 20)																													
Surrender Arrear																													
Surrender																													
Bonus																													
Fixation Arrear																													
Salary Arrear 1																													
Salary Arrear 2																													
Extra Sallary																													
TOTAL																													

Signature of Employee

Signature of DDO

आयकर गणना प्रपत्र वर्ष 2020-2021 (कर निर्धारण वर्ष 2021-2022)

1	नाम कर्मचारी : 0	पद : 0	PAN :		
2	आय : वर्ष-2020-21 में प्राप्त कुल वेतन (कर योग्य सुविधाओं के मुल्य सहित)				
3	गृह किराया, धारा 10(13-A) के अन्तर्गत एवं धारा 10(14)के अन्तर्गत अन्य भते जो कर मुक्त है।				
4	शेष (2-3)				
5	(i)मनोरंजन भता धारा 16 (ii) के अन्तर्गत (अधिकतम सीमा रु 5000)				
	(ii) व्यवयय कर धारा 16 (iii) के अन्तर्गत				
	(iii) स्टेण्डर्ड डिडेक्शन (Standard Deduction) 50,000 (अधिकतम)				
6	शेष (4-5)				
7	(अ)गृह सम्पति से आय:(1) स्वयं के उपयोग में -शून्य		(2) प्राप्त किराया रु.		
	(ब) घटायें	किराये का 30%	गृह ऋण पर ब्याज	गृहकर	योग 7(ब)
	शेष - / +(7(अ) एवं योग 7(ब) का)				
8	कुल शेष - / +(6एवं 7)				
9	अन्य आय				
10	सकल आय योग (8+9)				
11	घटाइये कटौतियाँ :- धारा US 80C, 80CCC,80CCD (1)				
	(A) अधिकतम सीमा 1,50,000/- (धारा 80CCE) , (धारा 80CCD (2), के अलावा				
	(i) राज्य बीमा (SI)	रु.	(x) सरकारी पेंशन योजना में अंशदान ECPF	रु.	
	(ii) जीवन बीमा प्रीमियम (LIC)	रु.	(xi) पेंशन प्लान हेतु अंशदान(धारा 80CCC)	रु.	
	(iii) राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)	रु.	(xii) राष्ट्रीय बचत पत्र पर अदत ब्याज	रु.	
	(iv) लोक भविष्य निधि (PPF)	रु.	(xiii) टयूशन फीस	रु.	
	(v) राष्ट्रीय बचत स्कीम (NSS)	रु.	(xiv) इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम	रु.	
	(vi) सामान्य प्रावधायी निधि (GPF)	रु.	(xv) स्थगित वार्षिकी (Defferred Annuity)	रु.	
	(vii) सामूहिक बीमा प्रीमियम (G.Ins.)	रु.	(xvi) पी.एल.आई. (PLI)	रु.	
	(viii) यू. एल. आई. पी. / वार्षिक प्लान	रु.	(xvii) अन्य जमाराशि (धारा 80 सी के अन्तर्गत)	रु.	
	(ix) गृह ऋण किस्त (HBA Premium)	रु.	(xviii) सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि	रु.	
	(xix) GPF 2004 (NPS)	रु.		रु.	
	योग (i से xviii)				
	अधिकतम कटौती की राशि 1.50 लाख रुपए तक				
	(B) घटाइये- धारा 80CCD(2) नियोक्ता द्वारा पेंशन अंशदान की राशि (अधिकतम वेतन का 10%) पृथक से छूट				
	(C) घटाइये - धारा 80CCD (1B) नवीन पेंशन योजना में अतिरिक्त अंशदान (अधिकतम रु. 50,000)				
	योग 11(A+B+C)				
12	अन्य कटौतियाँ				
	1.धारा 80 D ,चिकित्सा बीमा प्रीमियम (स्वयं,पति/पत्नी व बच्चों के लिए रु 25000, माता-पिता के लिए रु 25000.सीनियर सिटीजन रु 50000)				
	2. धारा 80DD विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार (अधिकतम 75,000 तथा 80% या अधिक विकलांगता 125,000)				
	3. धारा 80DDB विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु कटौती (अधिकतम रु 40,000, सीनियर सिटीजन हेतु रु 100,000)				
	4. धारा 80E उच्च शिक्षा हेतु लिए ऋण का ब्याज				
	5. धारा 80G धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये दान (क श्रेणी में 100 प्रतिशत एवं ख श्रेणी में 50 प्रतिशत)				
	6. धारा 80U स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में (अधिकतम 75,000 तथा अधिनियम 1995के अनुसार 125,000)				
	7. धारा 80 TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज रु. 10,000 194(IA) (80 TTB - वरिष्ठ नागरिक अधिकतम ब्याज 50000रु.)				
	8. धारा 80 GGA अनुमोदित वैज्ञानिक, सामाजिक, ग्रामीण विकास आदि हेतु दिया गया दान				
	कुल योग 12 (1 से 6 तक)				
13	कुल कटौती (11 + 12)				
14	कर योग्य आय (10 - 13)				
15	कुल आय की राशि को सम्पूर्ण करना (दस के गुणक में) धारा 288A				
16	आयकर की गणना उपरोक्त कॉलम 15 के आधार पर				
	एक व्यक्ति कर दाता		वरिष्ठ नागरिक (60 से 80 वर्ष तक)		80 वर्ष या अधिक आयु
	2,50,000 तक	Nil	3,00,000 तक	Nil	
	2,50,001-5,00,000	5%	3,00,001-5,00,000	5%	5,00,000 तक Nil
	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000	20%	5,00,001-10,00,000 20%
	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक	30%	10,00,000 से अधिक 30%
	(1) योग आयकर				
	(2) छूट धारा 87(A) (2.50 लाख से 5.00 लाख तक की कर योग्य आय पर आयकर की छूट अधिकतम रु. 12500 तक)				
	(3) शेष आयकर (1-2)				
	(4) शिक्षा उपकर 2% एवं उच्च शिक्षा के लिए अधिभार 2% (योग 4%)				
	कुल आयकर (3+4)				
17	घटाइये :- राहत धारा 89 के तहत				
18	कुल शेष आयकर				
19	आयकर कटौती का विवरण	सितम्बर 2020 तक रूपये	दिसम्बर 2020 तक रूपये	जनवरी 2021 तक रूपये	फरवरी 2021 तक रूपये
					टी.डी.एस. रूपये
					योग कॉलम 19
	Income Tax Payble/Refundable				